FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0024 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/02/2024 21:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 08/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/02/2024 **Time (समय):** 21:20 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/02/2024 21:54:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Tahsel office Busawar

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Jtendar Singh

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Hariram Singh

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Baroali, BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Baroali, BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9257557917

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Suresh Chand		पिता:Chirnjeelal	1. Telipara Maohlla,डीग, RAJASTHAN,INDIA
2	Jaswant Singh Jatav		पिता:Un Konen	1. Malaha,SEWAR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		11,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 11,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर विषय- मेरी पिताजी की जमीन पर स्टे दिलाने की एवज में रिष्वत राषि की मांग करने वाले कर्मचारी को रंगें हाथ पकडवाने बाबत महोदय निवेदन है कि मुझ प्रार्थी के पिता जी हरीराम हमारी पुस्तैनी जमीन का बेचान कर रहे हैं। उक्त जमीन पर स्टे दिलाने के एवज में एसडीएम व तहसीलदार के कर्मचारी सुरेष एवं जसवंत मुझसे अधिकारी के लिए रिष्वत के रूप में 11000 रू0 की मांग कर रहे हैं और कह रहें है कि तुम्हारी जमीन पर स्टे दिला देंगे और तुम्हारे पिताजी को बेचने नहीे देंगे और फाईल भी पैसे के साथ में लेने की कह रहें है। महोदय मैं इनको रिष्वत नहीं देना चाहता और इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू।मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिष व कोई पुराना लेन देन नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी जीतेन्द्र सिंह, जीतेन्द्र पुत्र हरीराम निवासी बारौली जाति जाटव मोब0 - 9257557917 दिनांक 05.02.2024 एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 05.02..2024 एसडी मणिक कैरांे 08.02.2024, एसडी मनोज कुमार 08.02.2024।..कार्यवाही पुलिस.. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 05.02.2024 को समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री जीतेन्द्र पुत्र श्री हरीराम जाति जाटव निवासी बारौली पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आषय की पेष की कि मुझ प्रार्थी के पिताजी हरीराम हमारी पुस्तेैनी जमीन हमारी जमीन को बेचान कर रहे है। उक्त जमीन पर स्टे दिलाने के ऐवज में एसडीएम व तहसीलदार के कर्मचारी सुरेष एवं जसवंत मुझसे अधिकारी के लिए रिष्वत के रूप में 11000/रु की मॉग कर रहें है और कह रहें है कि तुम्हारी जमीन पर स्टे दिला देंगे और तुम्हारे पिताजी को बेचने नहीे देंगे और फाईल भी पैसे के साथ में लेने की कह रहें है। महोदय मैं इनको रिष्वत नहीं देना चाहता और इनको रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू।मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिष व कोई पुराना लेन देन नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोट मेरी हस्तलिखित है। जसवंत व सुरेष चन्द मेरी पत्रावली को रिष्वत राषि के साथ ही लेंगें। मजीद दरियाप्त से मामला रिष्वत मांग का पाया जाने पर समय 01.30 पीएम रिष्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय मालखाने से श्री अबधेष कुमार हैड कानि0 68 से निकलवाकर परिवादी श्री जीतेन्द्र सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. 203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी जीतेन्द्र को आरोपी के जाने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिष्वत मंाग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं कानि0 परसराम को परिवादी की मित्र की कार से तहसील कार्यालय भुसावर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 06.00 पीएम पर श्री परसराम कानि. उपरोक्त फिकरा का रवानाषुदा उपस्थित कार्यालय आया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पुर्व से सुपुर्दषुदा वाईस रिकार्डर को सुपुर्द कर बताया मैं व परिवादी जीतेन्द्र के साथ कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय भुसावर पहॅुचे मैने आरोपी के पास जाने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया बाद सत्यापन परिवादी को पुर्व से सुपुर्दषुदा वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय भुसावर के अन्दर पहुॅचा तो वहॉ मुझे जसवंत मिला जो तहसील में काम करता है व उपखण्ड मजिस्टे^{a}ट साहब की गाडी चलाता है। जसवंत ने फोन कर सुरेष को भी बुला लिया तो मैने कहा कि मेरे पिताजी जमीन का बेचान कर रहे जिस पर स्टे लेना है जिसपर उन्होने कहा कि तेरा काम हो जायेगा 15-16 हजार रूपये लगेेगे। जिसमें से 3-4-5 हजार रूपये तो वकील के लगेंगें और 10-11 हजार रूपये एसडीएम साहब को देने है।और कहा कि रूपये फाईल के साथ ही देने है नही ंतो एसडीएम साहब फाईल को खारिज कर देंगे। फिर मैने वकील खुद करने व एक वकील का नाम सुझाया तो कहा तो उन्होने कहा वो सही वकील नहीं है वकील हम ही करायेगे। और अगर तू फिर भी खुद से वकील कर रहा है तो कर लें यहॉ एसडीएम साहब के 10 -11 हजार रूपये लगेगें। जिस पर उन्होने मुझे मेरे से रूपये की व्यवस्था करने के लिए कहा है मैंने सुरेष चन्द व जसवंत से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। सुरेष चन्द व जसवंत ने मुझे 2 - 3 दिन बाद बुलाया हैं। आज मुझे घर पर

आवष्यक कार्य है व कल अपनी फाईल तैयार करानी है व 11000/- रूपयों का बन्दोबस्त भी करना है । इसके बाद मैं परिवादी को आपके निर्देषानुसार आवष्यक हिदायत देकर भुसावर ही छोडकर एसीबी कार्यालय के लिए रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आया। परसराम कानि0 से वॉइस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया जाकर प्राप्तषुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। वॉईस रिकॉर्डर से माईक्रो एसडी कार्ड निकालकर उक्त वॉईस रिकॉर्डर में एक नया माईक्रो एसडी कार्ड डालकर रिष्वत मॉग सत्यापन वाले माईक्रो एसडी कार्ड को एवं वाईस रिकार्डर को कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। रिकॉर्ड वार्तालाप का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर डीवीडी तैयार की जावेगीं। फर्द वापसी वॉईस रिकॉर्डर पृथक से मूर्तिव कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 08.02.2024 को समय 11.00 एएम पर पूर्व से पाबन्दषुदा परिवादी जीतेन्द्र सिंह आरोपी को दी जाने वाली रिष्वत राषि 11000 लेकर उपस्थित कार्यालय आया और मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 05.02.24 को मैं व आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री परसराम कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय भुसावर पहॅुचे। परसराम कानि. ने आरोपी के पास जाने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर मुझको सुपुर्द कर तहसील कार्यालय के लिए रवाना किया। इसके बाद बाद रिष्वत मॉग सत्यापन मैंने पुर्व से सुपुर्दषुदा वाईस रिकार्डर को परसराम कानिं को सुपुर्द कर दिया। परसराम कानि. ने वाईस रिकार्डर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। मैंने परसराम काि◌न.को बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय भुसावर के अन्दर पहु◌ॅचा तो वहॉ मुझे जसवंत मिला जो तहसील में काम करता है व उपखण्ड मजिस्टे◌ट साहब की गाडी चलाता है। जसवंत ने फोन कर सुरेष को भी बुला लिया तो मैने कहा कि मेरे पिताजी जमीन का बेचान कर रहे जिस पर स्टे लेना है जिसपर सुरेष व जसवंत ने कहा कि तेरा काम हो जायेगा 15-16 हजार रूपये लगे◌ेगे। जिसमें से 3-4-5 हजार रूपये तो वकील के लगेंगें और 10-11 हजार रूपये एसडीएम साहब को देने है और कहा कि रूपये फाईल के साथ ही देने है नही ◌ंतो एसडीएम साहब फाईल को खारिज कर देंगे। फिर मैने वकील खुद करने व एक वकील का नाम सुझाया तो कहा तो उन्होने कहा वो सही वकील नहीं है वकील हम ही करायेगे। और अगर तू फिर भी खुद से वकील कर रहा है तो कर लें यहॉ एसडीएम साहब के 10 -11 हजार रूपये लगेगें। जिस पर उन्होने मुझे मेरे से रूपये की व्यवस्था करने के लिए कहा । मैंने सुरेष चन्द व जसवंत से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी ने पूर्व में परसराम कानि. द्वारा दिनांक 05.02.24 को बताई गई वार्तालाप व वाईस रिकार्ड में रिकार्ड वार्तालाप की ताईद होना पायी गयी। परिवादी को कार्यालय में ही बिठाया गया। तत्पष्चात समय 11.30 एएम पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवष्यकता होने पर श्री विनोद सिंह कानि0 114 को स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु संयुक्त निदेषक पषुपालन विभाग भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर कार्यालय संयुक्त निदेषक पषुपालन विभाग भरतपुर रवाना किया गया। तत्पष्चात समय 12.30 पीएम श्री विनोद सिंह कानि0 114 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय संयुक्त निदेषक पषुपालन विभाग भरतपुर वापस कार्यालय आया कानि0 श्री विनोद सिंह के साथ आये हुए स्वतंत्र गवाहान को मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना अपना नाम क्रमषः मणिक कैंरो पुत्र स्व0 श्री बनय सिंह जाति जाटव उम्र 27 साल निवासी झारकई पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेषक पषु पालन विभाग भरतपुर तथा मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण प्रसाद जाति नाई उम्र 30 साल निवासी नदिया मोहल्ला भरतपुर पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेषक पषु पालन विभाग भरतपुर होना बताया। उक्त दोनों गवाहों का कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी जितेन्द्र सिंह से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही टे◌प कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पेष की गई षिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से टे◌प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात समय 12.40 पीएम पर मौतविरान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र हरीराम जाति जाटव निवासी बारौली उम्र 31 साल पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर से आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राषि पेष करने की कहने पर उसने अपने पास से 22 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 11,000/- रूपये निकालकर पेष किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र.सं. नोट का प्रकार
नोटों के नम्बर

1 एक नोट पांच सौ रूपये का
9 TR 271080
2 एक नोट पांच सौ रूपये का
4 HB 182683
3 एक नोट पांच सौ रूपये का

7 एक नोट पांच सौ रूपये का
7 BD 158830
8 एक नोट पांच सौ रूपये का
9 WB 976202
9 एक नोट पांच सौ रूपये का
0 RQ 735719
10 एक नोट पांच सौ रूपये का
1 MK 571687
11 एक नोट पांच सौ रूपये का
2 RU 271882
12 एक नोट पांच सौ रूपये का
2 NM 219076
13 एक नोट पांच सौ रूपये का
7 TQ 078721
14 एक नोट पांच सौ रूपये का
1 WG 727369
15 एक नोट पांच सौ रूपये का
3 AL 346272
16 एक नोट पांच सौ रूपये का
9 DK 577090
17 एक नोट पांच सौ रूपये का
2 BT 987742
18 एक नोट पांच सौ रूपये का
8 MH 059424
19 एक नोट पांच सौ रूपये का
7 RU 119599
20 एक नोट पांच सौ रूपये का
4 NQ 058181
21 एक नोट पांच सौ रूपये का
2 BA 369789
22 एक नोट पांच सौ रूपये का
5 FM 647645

उपरोक्त पेष शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पष्चात श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री रवि कुमार हैड कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पष्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 11,000/-रूपये के नोटों को श्री रवि कुमार हैड कानि0 से परिवादी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावष्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिष्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिष्वत राषि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईषारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिष्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री मणिक कैंरों से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रवि कुमार हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये

आरोपी से मिलने तहसील कार्यालय भुसावर के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री विनोद सिंह कानि0 , परसराम कानि0 व दिलीप सिंह को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष टे^ap पार्टी सदस्यों के तहसील कार्यालय के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया तत्पष्चात समय 03.05 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी जितेन्द्र सिंह के नियत इषारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के ईटामडा रोड भुसावर से रवाना होकर तहसील कार्यालय के बाहर मुख्य रोड पर धुलाई की दुकान के सामने पहुंचा जहां परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा परिवादी ने मन अति0 पुलिस अधीक्षक को एक व्यक्ति की तरफ ईषारा कर बताया कि यही सुरेष चन्द कर्मचारी है जिसने मेरे से अभी अभी 11000/- रूपये रिष्वत में लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर 11000 रूपये में से मेरे सामने 5000 रूपये श्री चन्द्र शेखर एडवोकेट को दे दिये हैं और बाकी के 6000 रूपये अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में रख लिये हैं तथा परिवादी ने रोड के साईड में मोटर साईकिल पर बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ ईषारा कर बताया कि यही वकील साहब है जिनको सुरेष चन्द ने 5000 रू0 दिये हैं। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार हमराही जाप्ता के द्वारा मोटर साईकिल पर बैठे हुए व्यक्ति को डिटेन किया गया। इसके बाद पास खडे हुए व्यक्ति से मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेष चन्द पुत्र चिरंजीलाल उम्र 56 साल निवासी तेलीपाडा मौहल्ला डीग पुलिस थाना कोतवाली डीग जिला डीग हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय उपखण्ड मजिस्टे^aट भुसावर जिला भरतपुर होना बताया जिससे परिवादी जितेन्द्र सिंह से 11000 रूपये रिष्वत लेने के संबंध में पूछा तो सुरेष चन्द अपने दोनों हाथों को आपस में रगडने लगा और कहने लगा कि मैने कोई रिष्वत नहीं ली इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार सुरेष चन्द का बायां हाथ श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 व दायां हाथ श्री परसराम कानि0 203 द्वारा कलाईयों के उपर से पकड लिये चंूकि मौके पर आमजन की भीड एकत्रित हो रही है एवं अग्रिम कार्यवाही आम रोड पर किया जाना सम्भव नहीं है अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी सुरेष चन्द को हाथ पकडी हुई अवस्था में एवं डिटेन शुदा अधिवक्ता को हमराह लेकर तहसील कार्यालय भुसावर में तहसीलदार के कक्ष में लेकर पहुंचे जहां डिटेन शुदा सुरेष चन्द से मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने पुनः परिवादी से 11000 रू0 रिष्वत राषि के संबंध में पूछा तो आरोपी सुरेष चन्द ने बताया कि मै उपखण्ड कार्यालय भुसावर में सहायक कर्मचारी के पद पर कार्यरत हंू। तहसील कार्यालय भुसावर में कार्यरत जसवंत जो अपनी सास श्रीमति लज्जा के स्थान पर कार्य करता है, ने मुझे तीन चार दिन पहले अपने पास तहसील कार्यालय के बाहर चाय की दुकान पर बुलाया था जहां पर उसके साथ एक लडका था जसवंत ने मुझे बताया कि यह जितेन्द्र निवासी बारोली का है जिसके पिता जी जमीन को बेचना चाह रहे हैं, जमीन बेचने पर स्टे लगवाना है इस पर मैने कहा कि वकील साहब व अधिकारियों से कह कर स्टे लगवा दुंगा। और जसवंत ने जितेन्द्र से कहा कि मै और सुरेष जी एसडीएम साहब से मिलकर स्टे लगवा देगें। फिर मेरी व जसवंत की जितेन्द्र सिंह से पैसे संबंधी बात हुई थी उसको हमने 10000- 11000 रू0 यहां की व्यवस्था के लिये देने को कहा था और वकील भी हमने करवाने का कहा था। वकील साहब से फाईल तैयार होने पर और एसडीएम कोर्ट में पेष करने से पहले ही सम्पूर्ण राषि 11000 रू0 का भुगतान तय हुआ था। इसके बाद दिनांक 06.02.2024 को जितेन्द्र सिंह तहसील में आया था और जसवंत ने जितेन्द्र की जमीन संबंधी नकले निकलवायी थी इसके बाद दिनांक 07.02.2024 को मैने जितेन्द्र सिंह के समस्त कागजात वकील साहब चन्द्र शेखर को फाईल तैयार करने के लिये दे दिये थे और वकील साहब से 5000 रूपये महन्ताना तय हुआ था। इसके बाद आज जितेन्द्र मेरे पास 11000 रू0 लेकर आया था मैने वकील साहब चन्द्र शेखर को फोन करके अपने पास बुला लिया कुछ देर बाद वकील साहब मेरे पास जितेन्द्र सिंह की फाईल लेकर आ गये जिसपर जितेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर करवाये गये। मेरे मांगने पर जितेन्द्र सिंह ने 500-500 सौ रूपये के कुछ नोट मुझे दिये जिनको मैने अपने दोनों हाथों से गिना तो कुल 11000 रूपये होना पाये गये जिसमें से मैने 5000 रूपये वकील साहब को दे दिये और बाकी के 6000 रूपये मेरी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी साईड की जेब में रखे हुए हैं। मैने जितेन्द्र से कोई रिष्वत की मांग नहीं थी। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्षी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर तहसील कार्यालय में रखे हुए पानी के केम्पर से प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री मणिक कैंरो कनिष्ठ सहायक से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में श्री सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषी पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः टे^ap बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री सुरेष चन्द के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट

चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पष्चात गवाह श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक से आरोपी सुरेष चन्द की पहनी हुई पेन्ट की दांयी तरफ की जेब तलाषी लिवाई गई तो पेन्ट की जेब में 500-500 सौ रूपये की नोटों की मुडी हुई गड्डी दिखाई दी जिनको बाहर निकलवा कर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा में 500-500 सौ रूपये के 12 नोट कुल 6,000/-रूपये मिले जिनको पूर्व में बनाई गई फर्द पेषकषी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 TR 271080
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 HB 182683
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 SC 877966
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 RH 030733
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 QV 093821
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 HF 661306
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 BD 158830
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 WB 976202
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 RQ 735719
10	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 MK 571687
11	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 RU 271882
12	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 NM 219076

उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पष्चात टे्प बॉक्स में से पारदर्षी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करा कर आरोपी के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर पेन्ट की पीछे की दांयी तरफ की जेब को उलटवा कर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात पेन्ट का अवलोकन किया गया तो बरंग काला, पेन्ट के जेब को उल्टा कर सुखवाया जाकर जेब की सफेद कपडे की साईड पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क ''पीपी' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद डिटेन शुदा अधिवक्ता से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चन्द्र शेखर पुत्र बृजलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 52 साल निवासी सैंधली पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर हाल अधिवक्ता न्यायालय भुसावर एवं उपखण्ड न्यायालय भुसावर होना बताया जिनसे रिष्वत राषि 5000 रूपये के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं एसडीएम कोर्ट भुसावर व न्यायालय भुसावर में अधिवक्ता का कार्य करता हूं। करीबन एक दो दिन पहले मैं तहसील में किसी कार्य के लिये आया था जहां मुझे तहसील कार्यालय के कर्मचारी जसवंत व सुरेष चन्द मिले थे जिन्होने मुझसे कहा कि जितेन्द्र सिंह की स्टे की फाईल तैयार करनी है जिसके लिए 5000 रू0 का महन्ताना तय हुआ था। इसके बाद कल दिनांक

से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में श्री चन्द्र शेखर अधिवक्ता के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषी पर मार्क आर एच-3 व आर एच-4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः टे^{a}प बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री चन्द्र शेखर के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क एल एच-3 व एल एच-4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पष्चात गवाह श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक से चन्द्र शेखर की पहनी हुई पेन्ट की दांयी तरफ की जेब तलाषी लिवाई गई तो पेन्ट की जेब में 500-500 सौ रूपये की नोटों की मुडी हुई गड्डी दिखाई दी जिनको बाहर निकलवा कर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा में 500-500 सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/-रूपये मिले जिनको पूर्व में बनाई गई फर्द पेषकषी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं. नोट का प्रकार
नोटों के नम्बर

1 एक नोट पांच सौ रूपये का
7 TQ 078721
2 एक नोट पांच सौ रूपये का
1 WG 727369
3 एक नोट पांच सौ रूपये का
3 AL 346272
4 एक नोट पांच सौ रूपये का
9 DK 577090
5 एक नोट पांच सौ रूपये का
2 BT 987742
6 एक नोट पांच सौ रूपये का
8 MH 059424
7 एक नोट पांच सौ रूपये का
7 RU 119599
8 एक नोट पांच सौ रूपये का
4 NQ 058181
9 एक नोट पांच सौ रूपये का
2 BA 369789
10 एक नोट पांच सौ रूपये का
5 FM 647645

उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पष्चात टे^{a}प बॉक्स में से पारदर्षी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करा कर आरोपी के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर पेन्ट की दांयी तरफ की जेब को उलटवा कर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीषियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों पर मार्क पी-3 व पी-4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात पेन्ट का अवलोकन किया गया तो बरंग सलेटी है , पेन्ट के जेब को उल्टा कर सुखवाया जाकर जेब की सफेद कपडे की साईड पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क ‘‘पीपी-1’ अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी से प्राप्तषुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिष्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया

01 लगायत 28 है। जिसके प्रथम पृष्ठ पर न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भुसावर से संबंधित परिवादी व परिवारजन का विवरण अंकित है पत्रावली के पेज संख्या 01 से 12 तक पर वाद से संबंधित विवरण अंकित है जिनपर परिवादी के हस्ताक्षर हो रखे है एवं पेज 13 पर बकालत नामा लगा हुआ है जिसपर भी परिवादी के हस्ताक्षर हो रखे हैं। पत्रावली के अंतिम पृष्ठ पर पीछे की तरफ प्रार्थी के रूप में जितेन्द्र सिंह का नाम पता लिखा हुआ है चंूकि उक्त पत्रावली की कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत आवष्यकता होने पर पत्रावली को जप्त किया जाकर पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पत्रावली को कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 08.20 पीएम पर रूबरू गवाहान के समक्ष आरोपी श्री सुरेष चन्द पुत्र चिरंजीलाल उम्र 56 साल निवासी तेलीपाडा मौहल्ला डीग पुलिस थाना कोतवाली डीग जिला डीग हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय उपखण्ड मजिस्टे^{a}ट भुसावर जिला भरतपुर को परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह से परिवादी के पिता के नाम पुष्तेनी जमीन पर बेचान पर एसडीएम कार्यालय से स्टे लगवाने की एवज में वक्त रिष्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.02.2024 को 11000/- रूपये रिष्वत की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनंाक 08.02.2024 को रिष्वत लेते पकडे जाने पर आरोपी श्री सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी कार्यालय उपखण्ड भुसावर जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाषी गवाह श्री मनोज कुमार वरिष्ट सहायक से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल रीयल मी कम्पनी जिसमें वीआई की सिम जिसके नं0 9829850194 डली हुई है। व एक पर्स जिसमें 480 रूपये मिले 480 रूपये के बारे में पूछा गया तो खर्चे के होना बताये गये। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 09.00 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता चन्द्र शेखर से समस्त घटना क्रम की विडियो ग्राफी की जाकर अधिवक्ता आवष्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद समय 09.40 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक को गिरफतार शुदा आरोपी सुरेष चन्द ने बताया कि मेरा सिर दर्द कर रहा है जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय गिरफतार शुदा आरोपी सुरेष चन्द मय स्वतंत्र गवाहान मय टे^{a}प टीम मय जप्तषुदा रिष्वती राषि, धोवन की शील्ड शीषियां, शील्ड पेन्ट पैकिट ,मुताबिक फर्दात के मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक बाद कार्यवाही आरोपी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पीएचसी भुसावर के लिए रवाना होता हंू। तत्पष्चात समय 09.50 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा पीएचसी भुसावर पहुंचा जहां आरोपी सुरेष चन्द का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया बाद स्वास्थ्य परीक्षण अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना हुआ। तत्पष्चात समय 11.45 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार षुदा आरोपी सुरेष चन्द मय हमराहीयान स्वंतत्र गवाहान व टे^{a}प टीम सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पुलिस थाना मथुरा गेट पहुंचा। एसीबी चौकी पर हवालात नहीं होने से आरोपी सुरेष चन्द को जरिये तहरीर पुुलिस थाना मथुरा गेट की हवालात में दाखिल करा मय स्वतंत्र गवाहान मय टे^{a}प पार्टी सदस्यों के वापस चौकी आया तथा जप्तषुदा रिष्वती राषि, धोवन की शील्ड शीषियां, शील्ड पेन्ट पैकिट ,मुताबिक फर्दात को मालखाना प्रभारी से जमा मालखाना करवाया गया। एवं वॉईस रिकॉर्डर मैमोरी कार्ड को सुरक्षार्थ मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 09.02.2024 को समय 06.45 एएम पर डिजीटल रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.02.2024 के माईक्रो एसडी कार्ड जिसे सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय के मालखाना में रखवाया गया था एवं दिनांक 08.02.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई लेन देन वार्ता के माईक्रो एसडी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को मालखाने से बाहर निकलवा जाकर रिष्वत मांग सत्यापन के माईक्रो एसडी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK FILE EMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैष व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 07.00 एएम पर परिवादी जीतेन्द्र व आरोपी सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी व जसवन्त (प्राईवेट व्यक्ति) मध्य हुई सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " M " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेष कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 09.40 एएम पर वक्त रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 05.02.2024 को आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है

उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का का FTK FILE EMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में में हैष व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 09.45 एएम पर कल दिनांक 08.02.2024 को आरोपी सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी उपखण्ड कार्यालय भुसावर को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात कराया गया था उक्त आरोपी को कार्यालय स्टाफ की सहायता पुलिस थाना मथुरा गेट की हवालात में से निकलवा कर कार्यालय में लाया गया जिसे स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। तत्पष्चात समय 09.50 एएम पर डिजीटल वाईस रिकार्डर में वक्त रिष्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 08.02.2024 के माईक्रो एसडी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का का FTK FILE EMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में में हैष व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 10.00 एएम पर परिवादी जीतेन्द्र व आरोपी सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तषुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिष्वत लेनदेन वार्ता परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और तीन सीडियॉ तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " M -1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेष कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय 03.15 पीएम पर वक्त रिष्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 08.02.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का का FTK FILE EMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में में हैष व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात समय 03.25 पीएम पर रूबरू गवाहान व परिवादी श्री जीतेन्द्र के समक्ष उक्त प्रकरण में आरोपी सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी उपखण्ड कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर व जसवंत प्राईवेट व्यक्ति आवाज की पहचान हेतु रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी व लेन देन वार्ता सी आई ओ सीडी को कम्प्यूटर के माध्यम से चलाया जाकर उपखण्ड मजिस्टे^{a}ट कार्यालय भुसावर से उपस्थित आये श्री मनीष पुत्र रमेषचन्द जाति ब्रहाम्ण उम्र-41 वर्ष निवासी भुसावर जिला भरतपुर हाल कार्यालय अधीक्षक उपखण्ड मजिस्टे^{a}ट कार्यालय भरतपुर को सुनवाई जाकर पहचान करवाई गई तो श्री मनीष शर्मा कार्यालय अधीक्षक ने उक्त वार्ता में से एक आवाज को पहचान कर आरोपी सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी उपखण्ड कार्यालय भुसावर जिला भरतपुर की होना बताया है। फर्द पहचान आवाज पृथक से मूर्तिव की जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 पीएम ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 56 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री मनोज कुमार वरिष्ठ सहायक को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री जितेन्द्र के पिता जी हरिराम के नाम पुष्तेनी जमीन जिसको परिवादी के पिता हरिराम के द्वारा बेची जा रही थी उक्त जमीन पर उपखण्ड कार्यालय भुसावर में पदस्थापित श्री सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी व जसवंत अन्य व्यक्ति के द्वारा अधिकारियों से मिलकर बेचान की जा रही जमीन पर उपखण्ड कार्यालय भुसावर से स्टे दिलाने की एवज में वक्त रिष्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.02.2024 को 16000/- रूपये रिष्वत की मांग की परिवादी जितेन्द्र के कहने पर 11000/- रू0 देने की कहा उक्त मांग के अनुसरण में दिनंाक 08.02.2024 को आरोपी सुरेष चन्द सहायक कर्मचारी द्वारा परिवादी से रिष्वत में 11000/- रू0 लिये जिसमें से 5000/-रू0 चन्द्र शेखर तिवारी एडवोकेट को फाईल तैयार करने के लिये दिये आरोपी सुरेष चन्द से 6000/- रू0 एवं एडवोकेट चन्द्र शेखर से 5000/-रू0 बरामद होने का उक्त कृत्य जैर दफा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संषोधित वर्ष 2018 व 120बी भा0द0स0 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। तहसील कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय भुसावर के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका एवं चन्द्र शेखर एडवोकेट भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी अतः अभियुक्त सुरेष चन्द पुत्र चिरंजीलाल उम्र 56 साल निवासी तेलीपाडा मौहल्ला डीग पुलिस थाना कोतवाली डीग जिला डीग हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय उपखण्ड मजिस्टे^{a}ट भुसावर जिला भरतपुर तथा अभियुक्त जसवंत सिंह जाटव निवासी मलाह पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर।.....कार्यवाही

पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने जरिये ई-मेल प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में में आरोपी 1. श्री सुरेष चन्द पुत्र चिरंजीलाल हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट भुसावर जिला भरतपुर तथा 2. श्री जसवंत सिंह जाटव (प्राईवेट व्यक्ति)निवासी मलाह पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 24/2024 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर-एस.यू. को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रपट सीसीटीएनएस 106 पर अंकित है।(विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। क्रमांकः-122-25 दिनांक 09.02.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।2.जिला कलक्टर, भरतपुर। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHESH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/02/2024 21:58:49

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/07/1968				
2	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)